न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
64 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	20.07.2022	10.04.2023

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....आवेदक

बनाम

1—श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स शुभम किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास उनियारा जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 9 चौधरियों का मोहल्ला उनियारा जिला टोंक राज.
2—श्री नवीन खण्डेलवाल पुत्र श्री महेन्द्र स्वरूप खण्डेलवाल पार्टनर मैसर्स सांवरिया एग्रो फूड प्रोडक्ट्स ए—4 मोहित नगर सरना डूंगर इण्ड. एरिया जयपुर राज. निवासी ख 52 भवानी नगर सीकर रोड मुरलीपुरा जयपुर राज.

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश जैन उप.।

:—निर्णय—: **दिनांक 10.04.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.01.2022 को समय 02:01 पी.एम पर मैसर्स शुभम किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास उनियारा जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अनिल कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक / प्रोपरायटर होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल कृष्णम ब्राण्ड (Hydrogenated Vegetable Oil Krishnam Brand)** के 450—450 ग्राम के 17 नग में रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री अनिल कुमार जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल कृष्णम ब्राण्ड (Hydrogenated Vegetable Oil Krishnam Brand)** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु कय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

किया जा रहा है, 450–450 ग्राम के 4 नग कुल 1800 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल कृष्णम ब्राण्ड (Hydrogenated Vegetable Oil Krishnam Brand)** को 450–450 ग्राम को बराबर–बराबर एक भाग 450 ग्राम को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर नियामनुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3008 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3008 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक द्वारा नमूना कय करते समय विक्रेता श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स सांवरिया एग्रो फूड प्रोडक्ट्स ए–4 मोहित नगर सरना डूंगर इण्ड. एरिया जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया जो कि उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/245 दिनांक 02.02.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./162/एक्ट/2022/193 दिनांक 21.01.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया **हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल कृष्णम ब्राण्ड (Hydrogenated Vegetable Oil Krishnam Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन करने के कारण **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश जैन (अप्राथी सं. 1 के भाई) उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में अप्रार्थीगण की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल कृष्णम ब्राण्ड (Hydrogenated Vegetable Oil Krishnam**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Brand) विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल कृष्णम ब्राण्ड (Hydrogenated Vegetable Oil Krishnam Brand)** का नमूना जांच में **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/—(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 10.04.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 10.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0